न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 66/2012

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
ग्राम करणवा तहसील बाली के रबाडी जाति के प्रतिनिधिगण	1	मनोहरसिंह पुत्र वेनसिंह जाति चौहान निवासी करणवा
1 हीराराम पुत्र हिन्दूराम	2	ग्राम पंचायत मिरगेश्वर तहसील बाली
2 कानाराम पुत्र जगाजी		
3 दरगाराम पुत्र पुराजी		
4 सुराराम पुत्र गोमाजी		
5 भेराराम पुत्र वीराजी		
6 समाराज पुत्र सामतीजी जातिगण रबाडी निवासीगण करणवा तहसील बाली जिला पाली		

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री चन्द्रप्रकाश सिंघानिया, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक 6/10/2017

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत मिरगेश्वर द्वारा मिसल संख्या 17/1998–1999 में पारित प्रस्ताव संख्या 3 (II) दिनांक 13.03.2000 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी पट्टा संख्या 1246 दिनांक 05.04.2000 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा इस निगरानी के जरिये अप्रार्थी मनोहरसिंह के पक्ष में जारी प्रस्ताव संख्या 3 (2) दिनांक 13.02.2000 एवं इसकी पालना में जारी पट्टे को चुनौती दी गई। जैर निगरानी आज्ञा एवं पट्टा रास्ते की भूमि पर जारी किया गया है। जबकि विधि एवं नियमानुसर धारा 161 (2) के प्रावधानों के अनुसार मुख्य मार्ग से 75 फीट की दूरी तक कोई पट्टा जारी नही किया जा सकता है। जबकि जैर निगरानी पट्टा आम रास्ता बारवा से करणवा जाने वाले पक्के डामर सड़क के केन्द्र बिन्दु से 5 फीट की दूरी से 5 फीट भूमि को सम्मिलित करते हुए बनाया गया है। उक्त पट्टा पश्चिमी दिशा की 6 फीट की गली को सम्मिलित करते हुए गली पश्चात स्थित मन्दिर एवं चबुतरे की भूमि को सम्मिलित करते हुए बनाया गया है। पट्टे की कार्यवाही पुराना पक्का मकान होना बताते हुए आरम्भ की गई एवं 45X25 फीट का पट्टा जारी किया गया है, जबकि मौके पर निर्माण मात्र 20.6X38 फीट का है, ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण कार्यावही अवैध

अति० जिला कलेक्टर, पाली

रूप से मिलावटी करते हुए किया जाना स्पष्ट है। पट्टा बनाने के आवेदन पत्र में न तो भूमि के अडौस पडौस अंकित किये है, न ही नाप चौक अंकित है। आवेदक का नाम, पिता का नाम, जाति आदि उसी व्यक्ति की हस्तलिपी में है, जिसके द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली यथा आदेशिकाऐं, निर्णय, मौका निरीक्षण प्रपत्र, बयान आदि लेखबद्ध किये गये है। आवेदन पत्र पर जो हस्ताक्षर है तथा पट्टे पर जो हस्ताक्षर है, उनका मिलान नही होता है। मौका निरीक्षण हेतु किन वार्ड पचों को मनोनीत किया गया, उनका नाम कहीं भी अंकित नही है। आपत्ति सूचना पत्र जारी करने का कोई क्रमांक, पंचायत की मोहर आदि नही है। चस्पा किस स्थान पर किया गया है, इसका कोई उल्लेख नही है। निर्णय में गुणावगुण पर कोई विवेचन किऐ बिना मात्र प्रक्रिया को लिखा गया है एवं 200/– रूपये में पट्टा जारी करने का निर्णय लेने का अंकित किया गया है, परन्तु निर्णय पर न तो सरपंच के हस्ताक्षर है, न ही कथित बैठक में पंच आदि के कोई हस्ताक्षर है। पट्टे का प्रस्ताव संख्या 3 (ा) दिनांक 13.02.2000 का बताया गया है, पत्रावली में निर्णय की तारीख 13.03.2000 बताइ गई है, पट्टे को जारी करने की तिथि 05.04.2000 बताई गई है। प्रस्ताव की एवं निर्णय की तिथि भिन्न भिन्न होने का कोई प्रश्न नही हो सकता है। उपरोक्त समस्त कार्यवाही विधि एवं नियमों के विपरित तरीके से की गई है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी पट्टा अपास्त करावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में डी.एन.जे. (राज.) 1995 पेज 458, आर.एल.आर. 1996 (1) पेज 27, डी.एन.जे. (राज.) 1999 पेज 672, आर.एल.आर. 1994 (1) पेज 631, डब्ल्यु. एन.एल. 1979 पेज 8, ए.आई.आर. 1980 सुप्रीम कोर्ट 1785, डी.एन.जे. (राज) 1995 पेज 415 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत मिरगेश्वर द्वारा मिसल संख्या 17/1998–1999 में पारित प्रस्ताव संख्या 3 (ा) दिनांक 13.03.2000 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी पट्टा संख्या 1246 दिनांक 05.04.2000 के विरूद्ध पेश की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत मिरगेश्वर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पुराना मकान का पट्टा जारी कराने का निवेदन किया, जिस पर मिसल कायम की जाकर 24.07.1998 को पंचायत सचिव को नक्शा तैयार करने एवं तीन पंचो को मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु मनोनीत किया गया। इसके पश्चात दिनांक 25.08.1998 को मिसल बैठक में प्रस्तुत होने एवं मौका रिपोर्ट व नक्शा पेश होने के कारण एक माह का आपत्ति नोटिस प्रकाशित करने के आदेश पारित किये गये। निर्धारित अवधि तक किसी की आपत्ति प्राप्त नही होने पर बैठक दिनांक 26.09.1998 स्वामित्व सिद्ध करने हेतु दो गवाहों सहित आगामी बैठक में पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गय। इसके पश्चात दिनांक 08.10.1998 को दो गवाहों के बयान कलमबद्ध किये गये। इसके पश्चात पत्रावली दिनांक 13.03.2000 को प्रस्तुत की गई, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 के नाम नियम 157 (ा) के तहत 200/– रूपये जमा कर पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये। सम्पूर्ण पत्रावली में जिस भूमि का पट्टा जारी किया जाना था, उसकी उत्तरी एवं दक्षिणी भुजा की चौडाई फुट एवं पूर्वी तथा पश्चिमी भुजा की लमाबई 25 फुट दर्शाई गई है। ग्राम पंचायत मिरगेश्वर की मोका फर्द रिपोर्ट दिनांक 17.11.2011 के संलग्न नक्शा मौका अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 का मुकान की उत्तरी एवं दक्षिणी भुजा की चौडाई 38 फुट एवं पूर्वी–पश्चिमी भुजा की

अति० जिला कलेक्टर, पाली

लमबई 20½ फुट दशाई है। इसे पट्टा अनुसार सीमांकित करने पर यह भूमि लगभग 4½ फुट रास्ते की भूमि में समाहित होती है तथा दूसरी तरफ 6 फुट भूमि समाहित होती है, जिसमें गली एवं चबूतरे की भूमि भी सम्मिलित होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मौके पर जितनी भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे में है, उसके मुकाबले अधिक भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा जारी किया गया है तथा इस अनुसार माप व सीमांकन किया जाता है, तो रास्ते एवं गली की भूमि भी पट्टे की भूमि में समाहित होती है। जो न्यायोचित नही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं पट्टा जारी करने में मौके अनुरूप समग्र जांच नही की गई है। अतः इस अनुसार जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे की कार्यवाही को विधि सम्मत नही ठहराया जा सकता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की [illegible] जाती है तथा ग्राम पंचायत मिरगेश्वर द्वारा मिसल संख्या 17/1998–1999 में पारित प्रस्ताव संख्या 3 (II) दिनांक 13.03.2000 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी पट्टा संख्या 1246 दिनांक 05.04.2000 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मौके अनुसार जांच कर, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत कोटडी का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 6/10/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली